

I/122640/2024

पूर्व मध्य रेलकार्यालय आदेश सं०: राज/150/2024

सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल/पूर्व मध्य रेल/पटना में नियुक्त निम्नलिखित PTDS (6 Hrs. daily) का अवधि विस्तार/पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने हेतु जारी किया जाता है :-

क.सं.	चिकित्सक का नाम	पद/स्थान	वर्तमान पद/स्थान	अभियुक्ति
1	डॉ० सोनाली रॉय	(PTDS, 6Hrs. daily)/सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल/पूर्व मध्य रेल/पटना (पूर्व टर्म समाप्ति की तिथि - 03.05.2024)	(PTDS, 6Hrs. daily)/सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल/पूर्व मध्य रेल/पटना	डॉ० सोनाली रॉय को संविदा के आधार पर द्वितीय टर्म (1 st extension) के तहत (PTDS, 6Hrs. daily) के रूप में दिनांक-11.06.2025 तक के लिए तैनात किया जाता है।
2	डॉ० सुजाता कुमारी	(PTDS, 6Hrs. daily)/सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल/पूर्व मध्य रेल/पटना (पूर्व टर्म समाप्ति की तिथि - 03.05.2024)	(PTDS, 6Hrs. daily)/सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल/पूर्व मध्य रेल/पटना	डॉ० सुजाता कुमारी को संविदा के आधार पर द्वितीय टर्म (1 st extension) के तहत (PTDS, 6Hrs. daily) के रूप में दिनांक-11.06.2025 तक के लिए तैनात किया जाता है।

उपरोक्त संविदा का अवधि विस्तार प्रविस/पूमरे /हाजीपुर के वित्तिय सहमति एवं चिकित्सा निदेशक/पूमरे/केन्द्रीय/चिकित्सालय /पटना के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

- (1) पूर्णकालिक संविदा के आधार पर डॉ० सोनाली रॉय एवं डॉ० सुजाता कुमारी की तैनाती उपरोक्त इंगित स्थान पर योगदान की तिथि से एक वर्ष यथा दिनांक-11.06.2025 तक अथवा नियमित चिकित्सक की उपलब्धता, इनमे से जो भी पहले हो तक मान्य होगा।
- (2) पदभार ग्रहण रिपोर्ट समय से उपमुकाधि/राज/पूमरे/हाजीपुर एवं संबंधित बिल अनुभाग को भेजें।
- (3) रेल परिषद द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-E(GR)II/9/16 दिनांक-14.05.99 के अनुपालन में दो अवधि के बीच में कम से कम एक सप्ताह का break होना चाहिए।
- (4) तैनाती से पूर्व चिकित्सा निदेशक केन्द्रीय चिकित्सालय/पटना एवं डॉ० सोनाली रॉय एवं डॉ० सुजाता कुमारी के बीच संबंधी दस्तावेज करारनामा की प्रति इस कार्यालय को अद्वितन एवं रिकार्ड हेतु भेजी जाए।
- (5) उपरोक्त चिकित्सक का पारिश्रमिक भुगतान आबंटित निधि से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आयकर के मद में आवश्यक कटौती (यदि कोई हो) सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (6) रेलवे आवास से संबंधित मामले का निष्पादन नियमानुसार किया जाए।
- (7) PTDS को पारिश्रमिक भुगतान के समय उनके कार्य के अवधि को दृष्टिगत रखा जाए।

Digitally Signed by Alok

Srivastava

Date: 12-06-2024 16:40:35

Reason: Approved

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/राज०

कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

01. महाप्रबंधक के सचिव - महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. प्रविस/पूमरे/हाजीपुर
03. प्रमुकाधि के सचिव - प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ
04. प्रमुचिनि/पूमरे/हाजीपुर
05. चिकित्सा निदेशक/पूमरे/केन्द्रीय चिकित्सालय/पटना
06. सकाधि(बिल)/पूमरे/हाजीपुर
08. संबंधित चिकित्सक द्वारा चिकित्सा निदेशक/केन्द्रीय चिकित्सालय/पटना
09. सकाधि/एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।